(62)

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय , राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-1684-I/07

D315/-

स्वामीदीन पाण्डेय , तनय श्री केमला प्रसाद पाण्डेय उम्र 46 वर्ष ग्राम भटिगवॉ उप तहसील सेमरिया , तहसील –सिरमोर जिला रीवा (म.प्र.)..............................आवेदक

बनाम

शासन म.प्र.

अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश माननीय न्यायालय श्रीमान अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 247/अपील/06–07 आदेश दिनांक 09.05.2007 बावत् भूमि नम्बर 86 स्थिति ग्राम भटिगवॉ ज.न. 420 पटवारी हल्का बड़ी हर्रई उप तहसील सेमरिया तहसील सिरमौर जिला रीवा म.प्र. ।

श्री के० के० द्विवेदी एड० द्वारा आज दि० 6.10.07 को प्रस्तुत।
6.10.07
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू राजश्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है।

यह कि , पटवारी हल्का बड़ी हर्रई उप तहसील सेमरिया तहसील सिरमौर जिला रीवा म.प्र. द्वारा एक अतिक्रमण संबधी प्रकरण की रिपोर्ट गॉव के ही एक असामाजिक तत्व श्री विष्णु प्रसाद पाण्डेय के कहनें पर जो हल्का पटवारी का सगा , संबधी व रिस्तेदार है। एक रिपोर्ट उप तहसील सेमरिया में वर्ष 2006 में इस प्रकार पेस की गई , कि आवेदक स्वामीदीन पाण्डेय ग्राम भटिगवॉ की आराजी नम्बर 82 के अंश भाग 80/20 वर्ग कड़ी पर पुराना माकान बनाकर अतिक्रमण किए हुए है, जिसे बेदखल किया जाय। आवेदक को नोटिस जारी हुई । नोटिस के बाद आवेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि , आवेदक का माकान शासकीय आराजी 82 मे नहीं बल्कि उसके पुस्तैनी स्वामितव की भूमि

6-10-07
K. K. Dwivedi

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग्रानी 1684–एक/07 **जिला** –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
28.6.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 247/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 9.5.07 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह निगरानी की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बडी हर्रई उप तहसील सेमरिया तहसील सिरमौर जिला रीवा द्वारा एक अतिकमण संबंधी प्रकरण की रोपोर्ट गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा की गई कि आवेदक स्वामीदीन पाण्डे 'शासकीय भूमि पर अतिकमण कर मकान बनाये हुये है। आवेदक को नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जबाव दिया गया । नोटिस से असंतुष्अ होकर तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कार्यवाही कर तहसीलदार के द्वारा दिनांक 28.6.06 को आदेश पारित किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे उनके द्वारा दिनांक 16.11.06 को	

अपील निरस्त कर आदेश पारित किया इसी आदेश से दुखित होकर अपर आयुक्त के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसे दिनांक 9.5.07 द्वारा निरस्त किया गया इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता तर्क है कि अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 9.5.07 विधि प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योगय है क्यों कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के आदेश का सत्यापन किया गया बल्कि विधि के सिद्वांतो को नजर अंदाज कर आदेश करने में भारी भूल की गई है। उनका यह भी तर्क है कि तहसील न्यायालय में शरारती तत्व द्वारा शिकायत की गई है जिसे पटवारी द्वारा झूठे एवं बनावटी प्रतिवेदन पर कार्यवाही की गई है जब कि आवेदक अपनी वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराने तथा 'शासकीय भूमि पर सीमा चिन्हित कराने का निवेदन पूर्व में कर चुका है। अतं में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावें।

4- अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता श्री बी0 एन0 त्यागी उपस्थित। उनके द्वारा तर्क

किया गया है अधीनस्थ न्यायलयों के आदेश सही है उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश होने से उन्हें स्थिर रखा जावे। तथा आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे।

5- उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेख का परीक्षण किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है । मुख्य तर्क यह है कि तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह आवेदक के अधिवक्ता अंतिरम आदेश मान रहे है और उनका तर्क है कि अंतिरिम आदेश की अपील नहीं की जा सकती । उनके द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है और उनके द्वारा कोई भी आवेदन परिवर्तित करने के लिये नहीं दिया गया है और न ही उनके द्वारा मौखिक रूप से अपने तर्क में कहा गया है जिससे से यह तर्क मानने योग्य नहीं है ।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि आवेदक 'शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाकर मकान बनाया है और उस पर 200/- का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया है। अतः अधीनस्थ

न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ । अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 9.5.07 स्थिर रखा जाता है । आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस किया जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य